

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा
(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 7/2016 - निगरानी

- | | | |
|---|------|---|
| 1. ग्राम पंचायत पण्डेर, जरिये
सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर,
पंचायत समिति जहाजपुर जिला
भीलवाडा | बनाम | 1. श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री जगन्नाथ
गाडोलिया निवासी पण्डेर, ग्राम
पंचायत पण्डेर, पंचायत समिति
जहाजपुर जिला भीलवाडा |
| -निगराकार | | - गैर निगराकार |

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

निगरानी विरुद्ध पट्टा सं. 06 दिनांक 29.01.2013

उपस्थित -

1. श्री कमल काष्ट अधिवक्ता - निगराकार की ओर से
2. श्री मनीष कुमार कांटिया अधिवक्ता - निगराकार की ओर से



निर्णय

दिनांक 22/2/2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरुद्ध दिनांक 23.02.2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत पण्डेर के तत्कालीन सरपंच एवं सचिव के द्वारा बिना किसी प्रकार की पत्रावली कायम किये पट्टा सं. 06 बुक सं. 543 दिनांक 29.01.2013 को एक ही दिन में निशुल्क पट्टा गैर निगराकार के पक्ष में जारी कर दिया जो राजस्थान पंचायती राज नियमों के विरुद्ध होने से निरस्त किया जाना न्यायसंगत है । ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा गैर निगराकार द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पत्र दिये बिना ही निशुल्क पट्टा पत्रावली कायम किये बिना ही जारी कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त पट्टे की जमीन में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने भी खुली नीलामी से पट्टे / भूमि विक्रय के संबंध में आदेश दिये थे जिसमें ग्राम पंचायत पण्डेर पक्षकार होने के बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना नहीं कर नियम विरुद्ध पट्टा जारी कर दिया तो निरस्त किये जाने योग्य है । गैर निगराकार को उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत नियमितीकरण का पट्टा जारी किया गया जबकि वर्तमान में पट्टे में प्रदर्शित नक्शे के आधार पर गैर निगराकार का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तथा न ही कच्चा

पक्का मकान बना हुआ है । इस कारण पट्टा अवैध है । गैर निगराकार की मिसल राजस्थान पंचायती राज नियम 158 के तहत बनाई गयी है जबकि पट्टा नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है जो पूर्णतय गलत है । मिसल के अनुसार गैर निगराकार ने जो रसीद दर्शायी थी जिसका न तो रसीद क्रमांक है , न ही दिनांक का उल्लेख है किया गया है, ऐसी स्थिति में विवादित पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है । गैर निगराकार के पक्ष में पूर्व में ही राजस्थान सरकार द्वारा इन्द्रा आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किया गया है , जहां पर गैर निगराकार का मकान बना हुआ है , जो ग्राम पंचायत के मजरा जसवन्तपुरा में स्थित है । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार को जारी पट्टा सं. 06 दिनांक 29.01.2013 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 02.03.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये ।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार व गैर निगराकार के अधिवक्ताओं की दिनांक 13.02.2017 को बहस सुनी गयी ।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 16 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा गैर निगराकार द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पत्र दिये बिना ही निशुल्क पट्टा पत्रावली कायम किये बिना ही जारी कर दिया जो विधि विरुद्ध होने से पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त पट्टे की जमीन में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने भी खुली नीलामी से पट्टे / भूमि विक्रय के संबंध में आदेश दिये थे जिसमें ग्राम पंचायत पण्डेर पक्षकार होने के बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना नहीं कर नियम विरुद्ध पट्टा जारी कर दिया तो निरस्त किये जाने योग्य है । गैर निगराकार की मिसल राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत बनाई गयी है जबकि पट्टा नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है जो पूर्णतय गलत है । मिसल के अनुसार गैर निगराकार ने जो रसीद दर्शायी थी जिसका न तो रसीद क्रमांक है , न ही दिनांक का उल्लेख है किया गया है, ऐसी स्थिति में विवादित पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है । गैर निगराकार के पक्ष में पूर्व में ही राजस्थान सरकार द्वारा इन्द्रा आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत किया गया है , जहां पर गैर निगराकार का मकान बना हुआ है , जो ग्राम पंचायत के मजरा जसवन्तपुरा में स्थित है । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार को जारी पट्टा सं. 06 दिनांक 29.01.2013 को निरस्त किये जाने

का आदेश फरमावे ।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि गैर निगराकार गाडोलिया लौहार है । पटटा जारी होने के बाद पक्का मकान बनाया है । गैर निगराकार के पास पूर्व में कोई मकान नहीं है । ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा एक साथ पटटे जारी किये जाने से फोटोस्टेटे नोटशीट पर कार्यवाही की गयी । प्रक्रिया पूर्ण की जाकर पटटे जारी किये गये । अतः निगराकार की निगरानी निरस्त फरमायी जावे ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । गैर निगराकार को ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 के अंतर्गत आबादी भूमि का निशुल्क आवंटन दिनांक 29.01.2013 को किया गया है । राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 इस प्रकार है – “ भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन (1) पंचायत, गांव, आबादियों में (300 वर्ग गज) तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं गृह स्थल / गृह नहीं है और ऐसे बाढगस्तों को भी जिनके गृह बह गये या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी । (परन्तु यह और कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आबादी भूमि के आवंटन की दशा में पंचायत भूमि निशुल्क आवंटन कर सकेगी । (और ऐसी भूमि का पटटा प्रारूप 2 3 ग में जारी किया जा सकेगा)) ।


गैर निगराकार के पक्ष में निशुल्क जारी पटटा सं. 6 बुक सं. 543 जारी दिनांक 29.1.2013 के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा मूल पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे गैर निगराकार के पक्ष में जारी पटटे के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा विधिक कार्यवाही की है या नहीं ? स्पष्ट नहीं होता है । गैर निगराकार के बीपीएल सदस्य होने का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में प्रस्तुत नहीं हुआ है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गैर निगराकार ने निशुल्क आबादी भूमि आवंटन हेतु सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर को आवेदन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर ने भी गैर निगराकार के पक्ष में आबादी भूमि के निशुल्क पटटे जारी करने के संबंध में सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित नहीं करवायी है ।

गैर निगराकार के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा जारी निशुल्क पट्टा सं. 06 बुक सं. 543 जारी दिनांक 29.01.2013 में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 में विहित शर्तों की पालना नहीं की गई । सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 143 से लगायत 149 में विहित प्रक्रिया की पालना नहीं करके गैर निगराकार के पक्ष में निशुल्क भूखण्ड का पट्टा जारी किया है जो अवैध एवं प्रारम्भ से ही शून्य है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है। अतएव –

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत पण्डेर विरुद्ध पट्टा सं. 06 बुक सं. 543, जारी दिनांक 29.01.2013 के क्रम में स्वीकार की जाकर गैर निगराकार के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा जारी निशुल्क पट्टा सं. 06 बुक सं. 543 जारी दिनांक 29.01.2013 में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 में विहित शर्तों की पालना नहीं की जाने से गैर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा सं. 06 बुक सं. 543 दिनांक 29.01.2013 को अपास्त किया जाता है । सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर को निर्देश दिया जाता है कि तथाकथित पट्टा विलेख व पत्रावली पर निरस्तीकरण के आदेश उल्लेखित किया जावे । निर्णय प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ लौटाया जावे । आदेश की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति जहाजपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 22/2/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा (राज.)